# संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192


क्र./आई.डी.एस.पी./2020/140 भोपाल, दिनांक 25/02/2020

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :- नोवल कोरोना वायरस (COVID-2019) बीमारी के Preparedness के संबंध में।

उपरोक्त विषयांर्गत लेख है कि चीन के हुबई राज्य के वुहान शहर में एक नये प्रकार का कोरोना वायरस (Novel corona virus 2019-nCoV) से निमोनिया के प्रकरण पाये गये है। चीन (हांगकांग, मकाउ, ताईवान) के अतिरिक्त 30 अन्य देश (जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, मलेशिया, कम्बोडिया, थाईलेंड, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, फिलीपींस, फिनलेंड, इटली, इंग्लेण्ड, रूस, स्पेन, बेल्जियम, इसराईल, स्वीडन, कुवेत, ईरान, मिस्त्र एवं लेबनान) कोरोना वायरस बीमारी के संकमण से प्रभावित हो चुके है। भारत में भी 3 प्रकरणों की पुष्टि हो चुकि है। दिनांक 31.01.2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा इसे Public Health Emergency of International Concern घोषित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोवल कोराना वायरस (COVID-2019) बीमारी की तैयारियां निम्नानुसार करना सुनिश्चित करें :-

- अपने जिले में नोवल कोराना वायरस बीमारी से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए पृथक से संस्था (आईसोलेशन के लिए) को चिन्हित करें, उसकी जानकारी तत्काल राज्य सर्विलेंस इकाई को प्रेषित करें।
- नोवल कोराना वायरस बीमारी से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को लक्षण (सर्दी, खांसी व बुखार) होने पर 14 दिन के लिए Quarantine किया जावेगा तथा लक्षण न होने पर 28 दिन के लिए घर पर आईसोलेशन (Home Isolation) किया जावेगा। जिला स्तरीय RRT द्वारा दिन में 02 बार जांच की जावेगी तथा जिसकी रिर्पोट प्रतिदिन दिन में 2 बार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सर्विलेंस इकाई को देवे।
- प्रायः यह देखा गया है कि आर.आर.टी के सदस्यों द्वारा यात्रियों की जांच सक्रिय रूप से नहीं की जा रही है। आर.आर.टी के सभी सदस्यों द्वारा पी.पी.ई. किट पहन के यात्रियों की जांच की जावे।
- 15 जनवरी 2020 के बाद चीन तथा प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म भरवाया जाए
- जिला चिकित्सालयों में पॉजिटिव केस प्रबंधन हेतु Mock drill करवाई जाये, जिससे Gap analysis कर, राज्य सर्विलेंस इकाई को अवगत कराया जाए।
- N-95 मास्क, पी.पी.ई. किट, वी.टी.एम. किट की उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सुनिश्चित करें। प्रतिदिन उपयोग में लिए गए लाजिस्टिक की जानकारी भी राज्य सर्विलेंस इकाई को देवे।

निरंतर........

- ग्राम पंचायत स्तर पर आशा एवं ए.एन.एम द्वारा जनमानस को इस बीमारी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

नोवल कोराना वायरस बीमारी से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की जानकारी तथा संस्था (आईसोलेशन के लिए) की जानकारी तत्काल राज्य सर्विलेंस इकाई को देवे।

(डॉ.वीणा सिन्हा)
अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.

पृ.क्र./आई.डी.एस.पी./2020/ भोपाल, दिनांक......................
प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, सतपुडा भवन भोपाल, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
4. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल, म.प्र.।
5. समस्त क्षेत्रिय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवाऐं।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधिक्षक, म.प्र.।
8. समस्त जिला सर्विलेन्स अधिकारी/एपिडिमियोलॉजिस्ट म.प्र.।

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र.